

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 1-51/2016-

/पटना, दिनांक :- / /2025

डा० नूतन नारायण, सहायक प्राध्यापक (संविदा-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के द्वारा दिनांक-15.01.2023 से 20.01.2023 तक की अवधि में की गयी विदेश (मॉरिशस) यात्रा के लिये घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा के लिये प्रस्थान नहीं करेंगी।

2 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

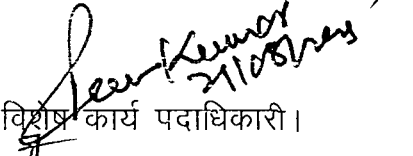
ज्ञापांक-17/एल 1-51/2016- 956(17) पटना, दिनांक :- 21/08 /2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० नूतन नारायण, सहायक प्राध्यापक (संविदा-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।